उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-13/2024/508/78-1-2024-148/2022

लखनऊ, दिनांक 16 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

आईटी एवं इसे अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-21/2023/1525/001-78-1-01099-148- 2022. दिनांक 10-11-2023 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक "2852-उद्योग, 07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 27 सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रु० 40000.00 लाख (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 500.00 लाख (रुपये पाच करोड मात्र) मेसर्स सैमक्चेंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि० को पूंजीगत उपादान के संवितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर (7) में यह उल्लेख किया गया है कि "स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।"

2- यूपीएलसी द्वारा उक्त शासनादेश के प्रस्तर (7) में उल्लिखित शर्त से प्रशासनिक व्यय हेतु निर्धारित धनराशि को प्राप्त करने में व्यवहारिक कठिनाई होने के दृष्टिगत प्रस्तर-(7) में उल्लिखित शर्त के स्थान पर "स्वीकृत धनराशि रू० 5.00 करोड़ में से रू0 4.90 करोड़ सीधे लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी तथा शेष धनराशि रू० 10.00 लाख प्रशासनिक व्यय हेतु उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० के खाते में अन्तरित की जायेगी" का उल्लेख किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः यूपीएलसी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश संख्या-21/2023/1525/001-78-1-01099-148-2022 दिनांक 10-11-2023 के प्रस्तर-(7) में उल्लिखित शर्त "स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।" के स्थान पर "स्वीकृत धनराशि रु0 5.00 करोड़ में से रू0 4.90 करोड़ सीधे लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी तथा शेष धनराशि रु० 10.00 लाख प्रशासनिक व्ययर्थों हेतु उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० के खाते में अन्तरित की जायेगी" पढ़ा जाए।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 10-11-2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

नेहा जैन
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उद्योग निदेशक, कानपुर, उ0प्र0।
2. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ।
11. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
12. अनु सचिव/नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।